संख्या-ए-2-87/दस-97-17(4)/75

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण),
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 1997

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

विषयः- प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के
शासनादेश संख्या-ए-2-3220/दस-17(4)/75, दिनांक 1 अक्टूबर 1975 एवं शासनादेश
संख्या-ए-2-2201/दस-17(4)/75, दिनांक 13 जुलाई 1976 के अन्तर्गत गैर सरकारी
संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिये, कार्य की लागत
का 15 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) निर्धारित हैं। सार्वजनिक
उपक्रमों एवं निगमों से भी उनके द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कार्यों
पर प्रतिशत प्रभार कार्य की कुल लागत में 5 प्रतिशत कमी करने के बाद उपलब्ध लागत पर
15 प्रतिशत अनुमन्य किया जाता है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त
शाखा के समस्त विभाग से सम्बन्धित डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर
प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जाता है ।

2- शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रतिशत प्रभार अब कार्य
लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा
डिपाजिट के रूप में लिये जा रहे समस्त राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार
वसूल किया जाय। इस प्रतिशत प्रभार में 1 प्रतिशत आडिट एवं एकाउन्टस शुल्क
सम्मिलित है, तथा इसका विभाजन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप से होगा :-

पूर्ण परियोजनाएं एवं ब्यौरेदार अनुमान .. 1.5 प्रतिशत
(प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित)
अधिष्ठान की मद में डाला जाएगा । .....

कार्यों का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित	.. 11 प्रतिशत
जिन मामलों में केवल प्रारम्भिक परियोजनाएँ और अनुमानित प्राक्कलन बनाये जाएंगे (अधिष्ठान की मद में डाला जाएगा।	.. 1.0 प्रतिशत

3- सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा शासकीय कार्य डिपाजिट के रूप में किये जाने पर सेन्टेज उन्हें पूर्व की भाँति कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

4- ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। ऐसे आगणन [illegible] वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, पुनरोद्घाटित (Reopen) नहीं होंगे परन्तु: यदि पुनरीक्षित आगणन जिसमें लागत में वृद्धि हो रही है, पुनः स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम अधिकारी को शासनादेश के निर्गमन की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं, तो उन पर बढ़ी लागत की धनराशि पर प्रतिशत प्रभार इस शासनादेश में लिखित दर पर अनुमन्य होगा। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जाएंगे।

5- कृपया इस संबंध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
सचिव,
वित्त (व्यय नियंत्रण)

पृ0सं0-ए-2-871(1)/दस-97-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा) एवं हकदारी (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा) एवं हकदारी (द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- [illegible] विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, [illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सचिव, उत्तराखण्ड [illegible] विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- [illegible] लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, [illegible], उ0प्र0, लखनऊ।
8- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9- [illegible] समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(ज्ञानन्द गिरि)
संयुक्त सचिव।